

# कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वय (ईजीएस) एवं जिला कलक्टर, धौलपुर

क्रमांक : जिपधौ / मनरेगा / बीआरपीचयन / 2023-24 / 4724

दिनांक :- 23-01-2024

## विज्ञप्ति

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में अंकेक्षण कार्यों के लिये ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिये ग्रामीण विकास (MORD) भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देश/अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय (मासिक आधारित) पर निर्धारित शर्तों पर एक वर्ष के लिये चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं।

### 1. सेवाओं के लिये मुख्य शर्तों का सारांश :-

क्र. सं.	सेवा का नाम	संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताएँ			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	तकनीकी/प्रशैक्षणिक	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	32	500/- प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर कार्य दक्षता एवं आरकेसीएल द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RSCIT)	21-64	10.02.2024

### 2. आवेदन हेतु दिशा-निर्देश :-

- ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया सम्पादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिये गये प्रावधाननुसार ऑनलाईन (ONLINE) रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाईट पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र लिये जाएंगे।
- सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) में समस्त वांछित सूचनाएँ आवश्यक रूप से अंकित करनी होंगी। आवेदन पत्र भरे जाने से पूर्व धौलपुर जिले की वेबसाईट <https://dholpur.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति, अन्य आदेशों, दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा इनमें दिये निर्देशों को ध्यान में रखते हुये ही आवेदन भरे। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने पूर्व उनकी प्रविष्टियों से अस्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही सही भरी गयीं हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जायेगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

3. **परीक्षा शुल्क :-** आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ 100 रुपये **परीक्षा शुल्क ऑनलाईन** सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा जयपुर (IFSC Code SBIN0031031) के खाता संख्या 38872762396 में Director, SSAAT के नाम से ऑनलाईन जमा कराना होगा एवं उसकी फोटो प्रति (जिसमें यूटीआर नम्बर/ट्रान्जेक्शन आईडी अंकित हो) आवेदन पत्र के साथ ई-मेल कारावें। अजा/अजजा/अतिपिछडा वर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क जमा कराने से छूट होगी।
4. **पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्त :-** सामाजिक विज्ञान विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 के आदेश क्रमांक एफ61(21)SSAAT /नियमावली /23019/7497-7514 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 2/2020) एवं संशोधित विनियम समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27.11.2020 (आदेश संख्या 10/2020) की पालना की जावें। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यकता पात्रता, आयु, शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं निम्नानुसार है। जिनके लिए सोसायटी के नियमों में वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

**ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिये निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक है।**


1. प्रशैक्षणिक योग्यताएं- पुरुष एवं महिला वर्ग के लिये स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
  2. प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता- RSCIT या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिक/कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
  3. आयु आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहियें। संसाधन व्यक्ति की 64 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी।
  4. आवेदन सिविल सोसायटी/संगठन से होना चाहिये।
  5. आवेदक राज्य कर्मचारी नहीं होना परन्तु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे।
  6. आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिये।
5. **चयन प्रक्रिया :-**
1. उपरोक्त सभी दस्तावेज के लिये निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
    - (क) उपरोक्त बिन्दु संख्या 4(1)(2) एवं (3) के लिये संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंकतालिकाएं, प्रमाण पत्र।
    - (ख) बिन्दु संख्या 4(5) के लिये स्व हस्ताक्षरित घोषण पत्र।
    - (ग) बिन्दु संख्या 4(6) के लिये राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
    - (घ) बिन्दु संख्या 4(7) के लिये सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी/संगठनों/इस कार्य में लगे हुये अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण अंकित हो।
  2. आवेदनकर्ताओं के चयन के समय आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत के अंक प्राप्तांक अनिवार्य हैं।
  3. आवेदक की संख्या अधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों

- के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।
4. लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची बनायी जावेगी। जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।
  5. आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदनकर्ता का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जावेगा।
  6. ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
  7. ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
  8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के (संविदा कार्मिक) चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण/रोस्टर प्रणाली के प्रावधान की पालना करवाई जायेगी।
  9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय स्तर पर ऑनलाईन प्राप्त किया जावेगा।
6. **ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि :-**  
ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 10.02.2024 की मध्यरात्रि 12 बजे तक ई-मेल आईडी **brprctdholpur22@gmail.com** पर प्राप्त होने पर स्वीकार किये जायेंगे।
- आवेदक द्वारा ऑनलाईन भिजवाये जाने वाले आवेदन पत्र, संलग्नकों सहित स्केन कर पीडीएफ फाईल में भेजें, जो 5 MB से ज्यादा न हो।
  - उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे जो व्यक्ति आवेदन पत्र भरकर विज्ञापन में दिये गये ई-मेल आईडी पर पीडीएफ फाईल में निर्धारित तिथि एवं समय तक भेज देंगे।
7. **मेरिट बनाना एवं दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों का सत्यापन :-**
1. दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हैराफेरी के लिये आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
  2. दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन संबंधित चयन समिति द्वारा किया जावेगा और इसके पश्चात ही अन्तिम वरीयता सूची तैयार की जावेगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसायटी की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। भौतिक सत्यापन अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुये कि वे इस कार्य हेतु रूचि नहीं रखते है वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो संविदा सेवा लिया जाना प्रस्तावित है वे पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थाईकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने बावत कोई भी अधिकार या दावा न्यायलय में वाद स्वीकार नहीं किया जावेगा। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल एक वर्ष का अनुबंध किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरान्त पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी। वरन सामाजिक




अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी/संतोषपत्र कार्य संपादन के आधार पर छटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिये नवीन अनुबंध ही किया जावेगा। चयनित व्यक्ति को 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिये अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायलय में पेश नहीं करेंगे। क्योंकि ये सेवाये पूर्णत अस्थायी एवं मासिक संविदा आधारित हैं।

9. कोई भी आवेदक किसी भी राजनैतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिये चयनित व्यक्ति पूर्णत निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनैतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
10. उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति (EC) SSAAT को प्राप्त होंगे।
11. विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्याय क्षेत्र केवल धौलपुर जिला न्यायलय होगा।

  
अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक  
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद धौलपुर  
(सुदर्शन सिंह तौमर)  
अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)  
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद; धौलपुर

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)  
ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिये आवेदन पत्र



जिला .....

आवेदक का नाम.....जन्म की तारीख..... आयु (दिनांक .....01.2024 को) वर्ष .....माह.....  
पिता/पति का नाम .....माता का नाम.....वैवाहिक स्थिति .....वर्ग.....  
वार्षिक पारिवारिक आय.....मोबाईल नम्बर.....वैकल्पिक मोबाईल नम्बर.....ई-मेल.....  
.....स्थायी पता.....गांव का नाम.....ग्राम पंचायत का नाम.....  
पंचायत समिति का नाम.....जिला .....आधार नम्बर.....पत्राचार का  
पता.....

**शैक्षणिक योग्यता**

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्व विधालय का नाम	रोल नम्बर	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

**तकनीकी योग्यता**

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्व विधालय का नाम	रोल नम्बर	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
	RSCIT								
	Degree/ Diploma								

क्या आप शारीरिक रूप से समर्थ एवं स्वस्थ हैं।           हॉ/नहीं

क्या आपने कभी निम्नलिखित के साथ काम किया है/अनुभव : हॉ/नहीं.....(अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र. सं.	पद का नाम	अवधि से	अवधि तक	सेवा की अवधि	प्राप्त मासिक वेतन	कर्तव्य की प्रकृति
1	ग्रामीण विकास विभाग / पंचायतीराज विभाग विभाग					
2	समाजिक अंकेक्षण					
3	गैरसरकारी संगठन					

### डिबारमेंट/आपराधिक मामलों का विवरण

क्या किसी बोर्ड / लोक सेवा आयोग में आपको अपनी प्रतियोगिता / भर्ती परीक्षा में अनुसूचित साधनों आदि के प्रयोग के लिये वर्जित किया है।

हाँ/नहीं

क्या आपको कभी किसी अपराध के लिये सजा हुई है।

हाँ/नहीं

स्थान :-.....

दिनांक :-.....

### आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :- 1. आवेदक के हस्ताक्षर रहित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

2. आवेदन पत्र निर्देशानुसार बिना किसी प्रकार की कांट-छांट के भरा जावें। आवेदन पत्र में की गई किसी भी प्रविष्टि के सुधार हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

3. दिनांक 10.02.2024 को रात्रि 12.00 बजे तक ई-मेल आईडी [brprctdholpur22@gmail.com](mailto:brprctdholpur22@gmail.com) पर भिजवाये गये आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

4. आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क 100/- (SSAAT) के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा जयपुर के (IFSC Code SBIN0031031) व खाता संख्या 38872762396 में Director, SSAAT के नाम से ऑनलाईन जमा करवाया जावें।

5. आवेदन शुल्क जमा करवाने की रसीद संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

6. ई-मेल द्वारा भिजवाये गये आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिये व साईज 5 एमबी से अधिक नहीं होना चाहियें।